संचिका सं0–10/प्रा0–07–04–2013 1335 (10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक–08 / 02/2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन के भवन निर्माण हेतु रुपये 6,80,47,000/–(छः करोड़ अस्सी लाख सैंतालिस हजार रुपये) **मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत्यादेश संख्या–531(10), दिनांक–03.02.2010 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या–710(10), दिनांक–25.03.2011 के क्रम में कहना है कि लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु रुपये 2,03,27,000/– (दो करोड़ तीन लाख सत्ताइस हजार रुपये) आवंटित की गयी थी, यद्यपि भूमि अनुपलब्ध रहने की स्थिति में निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है। तद्क्रम में उक्त संबंधित स्वीकृत्यादेश की सूची में से चानन प्रखंड को अलग करते हुए जिला पदाधिकारी/समाहर्त्ता, लखीसराय के पत्रांक–1433, दिनांक–21.11.2017 के द्वारा भूमि उपलब्धता की स्थिति के आधार पर प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक–3301, दिनांक–02.12.2017 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण, चाहरदीवारी, रैम्प/लिफ्ट एवं फर्निचर आदि के साथ प्राप्त मॉडल प्राक्कलन पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में लखीसराय जिलान्तर्गत चानन प्रखंड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन के भवन निर्माण हेतु रुपये 6,80,47,000/– (छः करोड़ अस्सी लाख सैंतालिस हजार रुपये) मात्र लागत पर योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

(2) एतद्संबंधी निर्माण कार्य तत्काल पूर्व में स्वीकृत/आवंटित राशि कुल रुपये 2,03,27,000/– (दो करोड़ तीन लाख सत्ताइस हजार रुपये) एवं इस पर अद्यतन अर्जित ब्याज राशि, जो बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को विपत्र कोड–20-4210021030101 से उपलब्ध कराई गयी है, से की जाएगी एवं कार्य प्रगति के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर मांग के आधार पर शेष राशि निगम को यथासमय संगत शीर्ष में राशि आवंटित की जाएगी ।

(3) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगाः–

(i) निर्माण कार्य इस भवन निर्माण हेतु आवश्यक 2 एकड़ भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् कराया जाएगा ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।

(iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा । भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेंसी की होगी ।

(vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी ।

(vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

(4) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त इस पर होने वाले शेष व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपशीर्ष–0101–रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-4210021030101, विषय शीर्ष– (53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से की जाएगी ।

(5) यथा समय इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी0एल0 खाता संख्या–244 एवं विपत्र कोड– K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।

(7) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।

(8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(11) प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है ।

(12) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/प्रा0–07–04–2013 के पृष्ठ–154/टि0 में प्राप्त है ।

(13) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश यथा समय अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 7/2/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांकः– 1335(10) /स्वा0, पटना, दिनांकः–08/02/2018

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/सिविल सर्जन, लखीसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चानन (लखीसराय)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/- 7/2/18

सरकार के विशेष सचिव ।

Nofmani

70